संख्या–4982 / 9–आ–1–99–79बैठक / 99

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक : 17 दिसम्बर, 1999

विषय :उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित एवं आवासीय / व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–138 सीएम / 9–आ–1–99–10 मिस / 88, दिनाँक 23 नवम्बर, 94 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों / भवनों के आवंटन में निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है :–

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद, व स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	05
6.	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलाँग व्यक्ति	01
	योग	**66**

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिये 10: के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।

उदाहरणस्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजैण्टल होगा।

3. वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने की तिथि को 60 वर्ष की आयु पार कर ली है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें और समय–समय पर उक्त व्यक्तियों के लिए किये गये आवंटन का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या–4982(1)/9–आ–1–99, तद्दिनांक।

उपर्युक्त शासनादेश की प्रति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।